

कायालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण मसूरी।

शाखा कार्यालय, एच-21, ऋषिलोक कालोनी, ऋषिकेश, जिला-देहरादून।
पत्रांक 0120 / वाद संख्या आर-0302/2026 दिनांक 20/08/2026

मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,

वनाम

हितबद्ध व्यक्ति

निर्मलबाग, ब्लाक -सी, गली नं०-6
लक्कड़घाट रोड, ऋषिकेश, देहरादून

आपके द्वारा निर्मलबाग, ब्लाक -सी, गली नं०-6 लक्कड़घाट रोड ऋषिकेश जिला देहरादून में उपरोक्त स्थल पर बिना स्वीकृत मानचित्र के 20 गुणा 60 फिट के क्षेत्रफल पर भूतल, प्रथम तल, द्वितीय तल, तृतीय तल पर निर्माण किया जा रहा है। जिसके कारण आपके विरुद्ध उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश) नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973 संशोधित-2009 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत वाद संख्या आर-0302/2026 योजित करते हुए कमशः निर्माण कार्य रोकें एवं कारण बताओ नोटिस क्रमांक 3029 दिनांक 23-03-25 को निगर्त करते हुये पक्ष प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 27-03-2026 की तिथि नियत की गयी थी। जिसमें विपक्षी अनुपस्थित रहे। तत्पश्चात विपक्षी को कार्यालय पत्रांक 3810 दिनांक 20/03/2026 द्वारा सील का कारण बताओ नोटिस प्रेषित किया गया। जिसकी सुनवाई तिथि 02/04/2026 नियत की गयी। जिसमें विपक्षी उपस्थित रहे, किन्तु स्वीकृत मानचित्र से सम्बन्धित कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये। क्षेत्रीय अभियन्ता/सहायक अभियन्ता की आख्या दिनांक 22-04-2026 में अवगत कराया गया है कि विपक्षी द्वारा वर्तमान तक स्वीकृत मानचित्र से सम्बन्धित कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये और स्थल पर लगातार निर्माण कार्य किया जा रहा है। अतः ऐसी स्थिति में विपक्षी द्वारा स्थल पर बिना स्वीकृति के निर्माण करने पर समस्त अनाधिकृत निर्माण को सीलबन्द किया जाना आवश्यक है।

—: आदेश:—

हितबद्ध व्यक्ति, निर्मलबाग, ब्लाक -सी, गली नं०-6 लक्कड़घाट रोड, ऋषिकेश जिला देहरादून में विपक्षी द्वारा उपरोक्त स्थल पर बिना स्वीकृत मानचित्र व्यवसायिक हट का निर्माण किया जा रहा है। स्वीकृति के विरुद्ध निर्माण कार्य करने पर समस्त अनाधिकृत निर्माण को यथावत रोकें जाने हेतु सीलबन्द किया जाना आवश्यक है। वर्णित परिस्थिति में मौके पर किये गये उपरोक्त अनाधिकृत निर्माण के विरुद्ध उत्तराखण्ड नगर ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम 1973 यथा संशोधित अधिनियम की धारा-28-1 (क) के अधीन सीलबन्द के आदेश पारित किये जाते हैं। उक्त अनाधिकृत निर्माण दिनांक 25/05/26 को ही पूर्वान्ह 11:00 बजे से 05:00 के मध्य सील किया जाए।

अतः विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वह सील की तिथि से पूर्व उक्त परिसर को खाली कर दें तथा स्थल पर उपस्थित रहकर सील की कार्यवाही निष्पादित करायें। विपक्षी की अनुपस्थिति में सील की कार्यवाही एकतरफा सम्पादित हो। विपक्षी को यह भी निर्देश दिया जाता है कि स्थल पर लगायी गयी सील को न तो क्षतिग्रस्त करें ना होने दें, क्योंकि उक्त कृत्य शासकीय कार्य में बाधा डालना एवं सरकारी सम्पत्ति को क्षति पहुंचाने के समान है, जो कि कानूनन दण्डनीय अपराध है। आदेश की एक प्रति स्थल पर चस्पा हो तथा एक प्रति विपक्षी को तामिल की जाए।

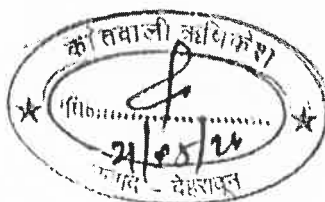
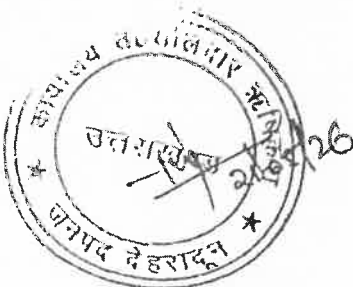
उपजिलाधिकारी/पीठासीन अधिकारी

मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,

२ ऋषिकेश।

प्रतिलिपी—

- 1- प्रभारी निरीक्षक कोतवाली ऋषिकेश को इस निर्देश के साथ कि उक्त तिथि को आवश्यक पुलिस बल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 2- तहसीलदार, ऋषिकेश को इस निर्देश के साथ कि उक्त तिथि को सील की कार्यवाही सम्पन्न कराना सुनिश्चित करें।
- 3- नाजिर, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून को इस निर्देश के साथ कि उक्त तिथि को प्राधिकरण वाहन, चालक सहित एवं सुरक्षा गार्ड, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को गय सील सामग्री स्टील की तार सहित उक्त दिनांक को पूर्वान्ह 11:00 बजे शाखा कार्यालय ऋषिकेश में उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।
- 4- सम्बन्धित क्षेत्रीय अवर अभियन्ता/ सहायक अभियन्ता मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, शाखा कार्यालय ऋषिकेश इस निर्देश के साथ कि उक्त तिथि को सील की कार्यवाही सम्पन्न कराना सुनिश्चित करें



उपजिलाधिकारी/पीठासीन अधिकारी

मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,

२ ऋषिकेश।